।। महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः– सामान्य/6/2012/ 18821-921 दिनांकः– 30/7/12

–: परिपत्र :–

प्रमुख शासन सचिव, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.1 (237) भापुवि/जय/रचना/पर्व/12/2045 दिनांक 21.6.2012 के द्वारा प्रदेश की राजभाषा नीति की अनुपालना में हिन्दी को प्रशासन के हर क्षैत्र में लागू एवं सुनिश्चित करने के परिप्रेक्ष्य में समस्त विभागों में राजकार्य में हिन्दी भाषा का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः कारागार विभाग के समस्त अधीनस्थ कारागृहों/कार्यालयों को निर्देश प्रदान किये जाते है कि आपके कार्यालयों में निम्नलिखित राजकार्य हिन्दी भाषा में करने की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1. समस्त प्रशासनिक आदेश (यथा नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदस्थापन, वेतनवृद्वि, अवकाश, कार्यग्रहण, सेवानिवृति आदि) राजभाषा हिन्दी में जारी हों।
2. राजकीय कागजों पर हस्ताक्षर हिन्दी में अनिवार्य है। समस्त राजकीय मोहरें हिन्दी में ही हो।
3. राजकीय एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा मुद्रित सामग्री तथा समस्त आदेश, परिपत्र आदि अनिवार्य रूप से हिन्दी में जारी हो।
4. हिन्दी समाचार पत्रों में विज्ञापन, विज्ञप्तियां, निविदाएं आदि हिन्दी में ही जारी हो।
5. समस्त विभागीय कार्यालयो/संस्थाओं द्वारा इलेक्ट्रोनिक उपकरण (कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक टंकण यत्र आदि) केवल हिन्दी के या द्विभाषी(हिन्दी–अंग्रेजी) ही खरीदे जायें।
6. राजस्थान विधान मंडल एवं उसकी समितियों को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण एवं सामग्री हिन्दी में ही प्रस्तुत की जाएं।
7. राजपत्र में छपने वाली सामग्री हिन्दी में ही हो। अपवाद स्वरूप अंग्रेजी में भाषा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही प्रकाशित हो सकती है।
8. पेंशन संबंधी समस्त कार्यवाही हिन्दी में हो।
9. राज्य सेवकों पर की जाने वाली समस्त कार्यवाही हिन्दी भाषा में ही होनी चाहिए। राजसेवकों के गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रविष्टिया हिन्दी मे ही होनी चाहिए।
10. समस्त रजिस्टरों, प्रपत्रों आदि में हाथ से की जानी प्रविष्टियां हिन्दी में ही हो।
11. समस्त वित्तीय स्वीकृतियां सरकारी, बैठकों व आयोजनों के कार्यवृत्त हिन्दी में ही हो। प्रशासनिक एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन हिन्दी में हो।
12. सभी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र हिन्दी में ही मान्य हो।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल ब्लॉक न.8, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर।

3. उपमहानिरीक्षक कारागार, रेंज कार्यालय, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
4. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राज0 जयपुर।
5. निजी सहायक, अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर।
6. उप निदेशक, कारागार उद्योग, महानिदेशालय कारागार, राज0 जयपुर।
7. समस्त अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह।
8. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
9. सहायक विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार, राज0 जयपुर।
10. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर / जोधपुर
11. उपाधीक्षक (प्रथम / द्वित्तीय) महानिदेशालय कारागार, राज0 जयपुर।
12. प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह, जैतारण।
13. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार,राज0 जयपुर।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर